कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24(3)के अनुरूप एवं अनुसूची I/III के ग्रुप डी–II में संवर्गित प्रधानाचार्य (उमावि) एवं समकक्ष पद (ग्रुप डी–II) पे–बेण्ड 15600–39100 पी बी–3 ग्रेड पे 6600 में वर्ष 2017–18 की रिक्तियों के विरूद्ध आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंषाओं के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमॉकः– शिविरा–माध्य/संस्था/बी–III/ प्रधानाचार्य/डीपीसी /2017–18/17 दिनॉकः– 11.07.2017 द्वारा चयन किये जाने उपरान्त विभाग द्वारा तैयार की गई पूर्णतःअस्थाई रिव्यू रिवीजन सूची(आर.आर. सूची)के शिक्षा सेवा के निम्नांकित कार्मिक को प्रधानाचार्य–उमावि को, उनके नाम के सामने अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है :–

क्र. सं.	वरिष्ठता वर्ष	वरि. क्र.	नाम कार्मिक	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पदस्थापन	पदोन्नति पर पदस्थापन	जिला
1	13–14	1564	डॉ0 निधि	07.07.1976	सामान्य	रा0बालिका मावि काजड़ा जिला झुंझुनूं	राउमावि राणासर जिला चूरू	चूरू

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.7(1)कार्मिक/क–2/95 दिनांक 20.06.2001 (33/01) के प्रावधानान्तर्गत ऐसे राज्यकर्मी जिनके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सन्तानोत्पति से दो से अधिक सन्तान हो तो वे नियमानुसार पदोन्नति पर कार्यग्रहण के पात्र नहीं होंगे। अतः संबंधित नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्ति से पूर्व इस आशय की घोषणा प्राप्त करेंगे कि इनके 01.06.2002 को या उसके पश्चात सन्तानोत्पति से संतानों की कुल संख्या 2 से अधिक नहीं हुई है । **नियन्त्रण अधिकारी कार्यमुक्त/कार्यग्रहण कराने से पूर्व पदोन्नत कार्मिक के नाम, वरिष्ठता क्रमांक/वर्ष, वर्तमान धारित पद, जन्म तिथि एवं धारित अर्हता का मिलान कर पुष्टि करेंगे, अन्यथा स्थिति में कार्यग्रहण/कार्यमुक्त नही करते हुए निदेशालय को** रजिस्टर्ड डाक से एवं विभागीय ई–मेल absecsecedu@gmail.com पर तुरंत सूचित करेंगे।

उक्त प्रधानाचार्य नियत तिथि **दिनांकः–05.03.18 तक** पदोन्नति पर पदस्थापन के स्थान पर आवश्यक रूप से कार्यग्रहण करेगें। कार्यभार ग्रहण करने/पदोन्नति परित्याग की सूचना नियन्त्रण अधिकारी (संस्था प्रधान) द्वारा कार्यग्रहण करने की अंतिम तिथि के आगामी दिवस को निदेशालय को जरिये रजिस्टर्ड डाक/ई–मेल सूचित करेंगे। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण/कार्यमुक्त के साथ इसका इन्द्राज शाला दर्पण में आवश्यक रूप से करेंगे। इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रधान का ही होगा।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान बीकानेर

क्रमॉकः– शिविरा–मा/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/डीपीसी 17–18/2017 दिनॉकः– 20 फरवरी 2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत् :–

01. शासन सचिव–शिक्षा,प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
02. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा(ग्रुप–2)/कार्मिक(क–5)विभाग, राजस्थान, जयपुर
03. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर
04. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
04. उप निदेशक (प्रारंभिक/माध्यमिक) समस्त मण्डल।
05. जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक) समस्त।
06. संबधित संस्था प्रधान।
07. संबंधित पदोन्नत कार्मिक को पाबन्द किया जाता है कि नवीन पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण के साथ उपरोक्त निर्देशानुसार शाला दपर्ण में अपने से संबंधित आवश्यक प्रपत्रों की पूर्ति आवश्यक रूप से करेगें ।
07. सहायक निदेशक वरिष्ठता/संस्था/गोपनीय प्रतिवेदन/विभागीय जांच/ प्रभारी बी–3
08. निजी एवं रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)